

(99)

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

क्रमांक/एफ-15-15-77-10-(3)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15.2.78

चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट वे वन्य क्षेत्र तथा इनके लिए आवश्यक पारिस्थितिकीय का संरक्षण करने, उसका विस्तार तथा विकास करने के प्रयोजन के लिए प्राणी जाति तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से प्रयाप्त महत्व का है।

अतएव वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 (53 सन् 1972 की धारा 18 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिए अभयारण्य (सेचुरी) के रूप में घोषित करता है।

अनुसूची

जिला	-	सीधी
परिक्षेत्र का नाम	-	चितरंगी
वनमंडल का नाम	-	सीधी
अभयारण्य का नाम	-	बगदरा
क्षेत्र का रकबा	-	478.000 वर्ग कि.मी.

सीमा विवरण

उत्तर	-	जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की सीमा
पूर्व	-	— " — " — " — " —
दक्षिण	-	सोन नदी
पश्चिम	-	परिक्षेत्र पूर्व सीधी के पूर्वी सीमा

सत्य प्रतिलिपि

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

सही /-

(आर. सी. सक्सेना)

उप सचिव

संचालक

संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी

100

67

15/15/72 February, 1972

NOTIFICATION

No. 15/15/72-10(3). Whereas the state Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate faunal and Zoological significance for the purpose of protecting, propagating, and developing wild life and its environments.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18(1) of the wild life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the State Government hereby declares the said area as Bagdara sanctuary for the birds and animals in the said sanctuary.

SCHEDULE

Name of District	Sidhi
Name of Range	Chitrangi
Name of Division	Sidhi
Name of Sanctuary	Bagdara Sanctuary
Area	478.00 Sq. Y.

Details of boundary

North	District Mirzapur Uttar Pradesh
East	-do-
South	Son River.
West	Eastern boundary of Range East Sidhi

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

(Signature)
Deputy Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Forest Department.

४५. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—लदपुरवा-१, छतैती-५, खम्हरिया-१, कोल्दिया-१, बहेरी-१, दिगुआ-१, वन खण्ड—
रकबा—१८२६.०० एकड़.

उत्तर.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६६/६ से ६७/१० तक बहेरी गांव का और ६७/१०-६८/१ से ७६/६ तक दिगुआ गांव का और नाला ७६/६ से १/१ तक और लाइन कटी १/१ से १०/१० तक लदपुरवा गांव का.

पूर्व.—नाला सीमांकित मु. क्र. १०/१० से ११/१ तक और कटी लाइन ११/१ से १८/८ तक छतैती गांव का और नाला १८/८ से १९/१ तक और लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. १९/१ से ३४/१६ तक खम्हरिया गांव का

दक्षिण.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३४/१६ से ३४/१७ तक खम्हरिया गांव का और ३४/१७-३६/१ से ४०/४ तक कोल्दिया गांव का.

पश्चिम.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४०/४ से ४१/६ तक को की सीमा बनाती है और लाइन कटी ४१/६ से ५७/२२ तक कोल्दिया गांव का और नाला ५७/२२ से ५८/१ तक और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ५८/१ से ६६/६ तक बहेरी गांव का.

ग. नि. म.—दुधमनिया.

४६. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—चुर्की-३५, वन खण्ड—चुर्की. रकबा—१८३९.०० एकड़.

उत्तर.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. १/१ से १२/१२ तक चुर्की गांव का और नाला १२/१२ से १३/१३ तक और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. १३/१३ से ४८/४८ तक चुर्की गांव का.

पूर्व.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४८/४८ से ५४/५४ तक चुर्की गांव का और उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सरहद्दी तक और सरहद्दी राज्य रेखा सीमांकित मु. क्र. ५६/५६ तक ब्लॉक की सीमा बनाती है और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ५६/५६ से ६१/६१ तक चुर्की गांव का और राज्य की सरहद्दी रेखा सीमांकित मु. क्र. ६१/६१ से ६२/६२ तक

दक्षिण.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६२/६२ से ११९/११९ तक चुर्की गांव का.

पश्चिम.—नाला सीमांकित मु. क्र. ११९/११९ से १/१ तक ब्लॉक की सीमा बनाती है.

४७. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—गोरवी-३७, मोडिया-३७, महदेइया-३६, फुलशर-३७, वन खण्ड—गोरवी. रकबा—२१९८.०० एकड़.

उत्तर.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६८/८ से १०२/१२ तक महदेइया गांव का और सीमांकित मु. क्र. १०२/१२-१०३/१ से १०४/१३ तक फुलशर गांव का और नाला १०४/३ से १/१ तक और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. १/१ से २८/२८ तक गोरवी गांव का और नाला २८/२८ से २९/२९ तक और कटी लाइन २९/२९ से ३४/३४ तक गोरवी गांव का और नाला ब्लॉक की सीमा बनाता है

पूर्व.—नाला ब्लॉक की सीमा बनाता है.

दक्षिण.—कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ३४/३४ से ८३/८३ तक गोरवी गांव का और ८३/८३ से ८४/१ तक और लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ८४/१ से ९०/७ तक मोडियागांव का और ९०/७-९१/१ से ९७/७ तक महदेइया गांव का.

पश्चिम.—नाला ब्लॉक की सीमा बनाता है.

४८. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—चकरिया-३४, चुर्की ३५, वन खण्ड—चकरिया. रकबा—२२७३.०० एकड़.

उत्तर.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४८/१५ से ६०/२७ तक चकरिया गांव का.

पूर्व.—(१) लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६०/२७ से ६७/३४ तक चकरिया गांव का और (२) राज्य की सरहद्दी रेखा उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमांकित मु. क्र. ६७/३४ से ६८/३५ (३) लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६८/३५

से ७३/४० तक चकरिया गांव का और ७३/४०-७४/१ से ८०/७ तक चुर्की गांव का और राज्य की सरहद्दी तक (४) राज्य रेखा ब्लॉक की सीमा बनाती है, (५) लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ८१/८ से १२३/५० तक चुर्की गांव का, (६) राज्य की सरहद्दी रेखा उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमांकित मु. क्र. १२३/५० से १२४/५१ तक.

दक्षिण.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. १२४/५१ से १४४/७२ तक चुर्की गांव.

पश्चिम.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. १४४/७२ से १५८/८५ तक चुर्की गांव का और १५८/८५ से १/१ तक तथा कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. १/१ से ३३/३३ तक चुर्की गांव का और ३३/३३-३४/१ से ४८/१५ तक चकरिया गांव का.

४९. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—शिरगुड़ी ३३, बरगढ़ ३३, मोष ३३, वन खण्ड—शिरगुड़ी, रकबा—२५८०.०० एकड़.

उत्तर.—नाला सीमांकित मु. क्र. ७९/१९ से ८८/२० तक और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ८८/२०-८९/१ से ८८/८ सकेली गांव का (लाइन कटी) ८८/२० से ८३/३ तक मुलखान और शिरगुड़ी ब्लॉक की शर्मिलात सीमा बनाती है, और ८८/८-८९/१ से ९०/१ से ९३/४ तक कर्तारहार और मोष गांव का क्रमशः और ९३/४-९४/१ से ९५/२ कर्तारहार गांव का.

पूर्व.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ९५/२-९६/१ से ११४/१९ तक मोष गांव का और नाला सीमांकित मु. क्र. ११४/१९ से १/१ तक.

दक्षिण.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. १/१ से २४/२४ तक शिरगुड़ी गांव का और २४/२४-२५/१ से ३८/१४ बरगढ़ गांव का.

पश्चिम.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३८/१४ से ५४/३० तक बरगढ़ गांव का और ५४/३०-५५/१ से ५६/२ तक मोष गांव का, और ५६/२-५७/१ से ५८/२ बरगढ़ गांव का, और ५८/२ से ५९/१ से ६०/२ तक सकेली गांव का, और ६०/२-६१/१ से ७९/१९ तक बरगढ़ गांव का.

ग. नि. मं. घोवर,

५०. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—मुत्तियाटोला—१७, जहडवा-१८, गोपला-१९, कोडरिया-१८, विलया-१७, खतहट १७, फतवा १७, वन खण्ड—
जहडवा. रकबा—५८५८.०० एकड़.

उत्तर.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३२/७ से ४२/१७ तक मुत्तिया गांव का और ४२/१७ से ४३/१ से ४४/२ तक कोडरिया गांव का, और सीमांकित मु. क्र. ६६/६ तक फा वेलन ब्लॉक और ६६/६ से ५५/२ तक फा वेलन का और ५२/२-४५/३ से ५७/१७ तक फा वेलन गांव का और सीमांकित मु. क्र. ३२/१ तक वेलन अलाक का, और सीमांकित मु. क्र. ३२/१ से ३३/२३ तक वेलन ब्लॉक का.

पूर्व.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३३/२३, ५८/१ से ७६/१९ तक गोपला गांव का और ७६/१९-७७/१ से ९१/१५ तक जहडवा गांव का और ९१/१५, ९२/१ से ९५/४ तक कुटवा गांव का और सीमांकित मु. क्र. १७९/१ तक ब्लॉक तमई का.

दक्षिण.—लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. १७९/१ से १७८/८ तक ब्लॉक तमई का और १७८/८-९६/१ से ९७/२ तक फतवा गांव का और नाला ९७/२ से ९८/१ तक लाइन कटी सीमांकित मु. क्र. ९८/१-११४/१७ तक मुत्तियाटोला गांव का और ११७/१७-१/१ से १२/१२ तक फतवा गांव का, और १२/१२-१३/१ या १५/३ तक खतहट गांव का.

पश्चिम—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३५०/१८ तक और ३५०/१८ से ३५६/२४ तक मडोली गांव का और ८३/३ तक सिरमुंडी ब्लाक और ८३/३ से ८०/२० तक सिरमुंडी ब्लाक का और नालो ८०/२० से ३५७/१ तक तथा मट्टी लाइन सीमांकित मु. क्र. ३५७/१ से ३६५/६ तक जमलहवा गांव का और ३६५/६-३६६/१ से ३६५/३० तक कपुरदेई गांव का और नामा ३६५/३० से ३६६/१ तक कटी लाइन ३६६/१ से ३६६/४ तक प्रमलहवा गांव का और नामा ३६६/४ से ४००/३ तक कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ४००/५ से ४२०/२५ तक प्रमलहवा गांव का और नामा ४२०/२५ से ४२१/१ तक कटी लाइन ४२१/१ से ४२३/३ तक कपुरदेई गांव का और नामा ४२३/३ से ४२४/४ तक और ४२४/४ से ४३७/१७ तक कपुरदेई गांव का और नामा ४३७/१७ से ४३८/१ तक कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ४३८/१ से ४४१/१४ तक बोडिहार गांव का और नामा ४४१/१४ से ४४२/१५ तक और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ४४२/१५ से ४६०/२३ तक बोडिहार गांव का और नामा ४६०/२३ से ४६१/१ तक कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ४६१/१ से ४६४/१ तक कुईनिया गांव का और ४६४/४ से ४६५/१ से ४६४/२० तक प्रमलहवा गांव का और ४६४/२० से ४६५/१ से ४६६/१ से ४६७/२ तक बत्वा टोला गांव का और खन्हनिया गांवों का क्रमशः और ४६७/२-४६८/१ से ४६८/३ तक प्रमलहवा गांव का और ४६८/३-४६९/१ से ४७३/१३ तक मुलखान कला गांव का और ४७३/१३-४७४/१ से ४७३/१० तक प्रमलहवा गांव का और ४७३/१० से ४७४/१ से ४७७/४ तक मुलखान गांव का, और ४७७/४ से ४७८/१ से ४७६/६ तक प्रमलहवा गांव का और ४७६/६-४७७/१ से ४५७/३ तक मुलखान कला गांव का और ४५७/३ से ४६०/३ तक मुलखान खुर्द गांव का और ४६०/३-४६१/१ से ४६४/२४ तक मुलखान कला गांव का और ४६४/२४-४६५/१ से ४६५/४ तक गेहई गांव का और ४६५/४-४६६/१ से ४६५/७ तक मुलखान कला गांव का और ४६६/१-४६६/१८ तक मुलखान खुर्द गांव का और ४६६/१८-४६७/१ से ४६७/४ तक बुडाशोल गांव का और ४६७/४-४६८/१ से ४२०/५ तक मुलखान खुर्द गांव का और ४२०/५-४२१/१ से ४२६/६ तक गेहई गांव का और ४२६/६-४२७/१ से ४४३/१४ तक बुडाशोल गांव का और ४४३/१४-४४४/१ से ४४७/४ तक नौगई गांव का.

पश्चिम—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६५७/४ से ६५७/१४ तक नौगई गांव का और ६५७/१४ से ६५८/१ तक गेहई गांव का और ६५८/१ से ६५८/१ तक गेहई गांव का और ६५८/१-६६०/१ से ६६२/३ तक नौगई गांव का और नामा के मुताबक तक.

द्विधा—सीधी, तहसील—सिंगरोली, वनमंडल—पूर्वी सीधी, परिशेख—बैजना, रा. नि. मंडल—सिंगरोली. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—बुडीबुवा-२६, कबभारी-२६, मडोली-२६, बजरहेह-२६, चटका-२६, सिगुरदह-२६, बूरीवेह-२६, वनबंध—बुडीबुवा, रकवा—४३६१.०० एकड़.

उत्तर—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६२/१ से १००/६ तक चटका गांव का और १००/६-१०१/१ से ११७/० से ११८/१८ तक सिगुरदह गांव का.

पूर्व—राज्य की सरहद्दी रेखा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की ब्लाक की सीमा सीमांकित मु. क्र. ११८/१८-से-११९/१ तक बनाती है, और कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ११९/१ से १२६/११ तक बूरीवेह गांव का और राज्य की रेखा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की ब्लाक की सीमा बनाती है.

दक्षिण—(१) राज्य रेखा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की ब्लाक की सीमा बनाती है, (२) साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १/१ से ११/११ तक बुडीबुवा गांव का.

पश्चिम—कटी लाइन सीमांकित मु. क्र. ११/११ से ३०/३० तक बुडीबुवा गांव का और ३०/३० से ३१/१ से ५२/२२ तक कबभारी गांव का और ५२/२२-५३/१ से ६७/१५ तक मडोली गांव का और ६७/१५-९६/१ से ७५/८ तक बुडीबुवा गांव का और ७५/८-७६/१ से ८४/६ तक मडोली गांव का और ८४/६-८५/१ से ९१/७ तक बजरहेह गांव का और सीमांकित मु. क्र. ९२/१ तक.

कुल योग ५५ अनाक १,१३८१६.०० एकड़. (१७७.५४) एं मील.

संक्षिप्त विवरण.—पशुओं का निर्यात वन विभाग की उत्पत्ति का है, वन क्षेत्रों के लिये नगरण.—राज्य तथा जनता के हित में हनेशा के लिये वनों को संक्षिप्त करने तथा वनस्थित प्रबंध किया जाना प्रारम्भ करने के लिये निरवय किया गया है कि वहाँ धारित वनों के लिये नगरण प्राय.

आपत्ति दिनांक २५ सितम्बर १९६७ मु. क्र. १६३/६६-३०५३-३५—महाराज वन अधिनियम, १९२७ (क्र. १६ सन् १९२७) का प्रावधान के अन्तर्गत पशुओं का नगरण के रूप में राज्य शासन ने यह निर्णय किया है कि निम्नलिखित आदिवासी गांवों और सिमा गांवों को नौगई गांवों में समाई गई है "संक्षिप्त वन" निर्मित होगा.

राज्य शासन द्वारा अधिनियम को धारा ४ (१) के प्रयोजन के लिये पशुओं का नगरण का वन मन्त्री द्वारा अधिनियम द्वारा निर्णयित होगा.

मानसूची

जिला—सीधी, तहसील—सिंगरोली, वनमंडल—पूर्वी सीधी, परिशेख—बाड़ा, रा. नि. मंडल. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—घनगढ़-५४, सतजयदह-५३, बान्ध-५४, रकवा—८४.०० एकड़.

उत्तर—प्रा. वन की रेखा ब्लाक का नामा बनाती है.

पूर्व—साइन कटी प्रा. वन के पुनारे से सीमांकित मु. क्र. १/१ तक सीमांकित मु. क्र. १/१ से ६/४ तक घनगढ़ गांव का.

दक्षिण—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४/६ से ६/६ तक घनगढ़ गांव का और मु. क्र. ६/६ से ७/१ तक प्रा.

पश्चिम—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ७/१ से ६/३ तक जलवा-तहरा गांव का और प्रा. वन के पुनारे तक.

२. जिला—सीधी, तहसील—सिंगरोली, वन मंडल—पूर्वी सीधी, परिशेख—बाड़ा, रा. नि. मंडल. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—गुन्डा-५३, वनबंध—गुन्डा, रकवा—८४.०० एकड़.

उत्तर—प्रा. वन की रेखा ब्लाक की नामा बनाती है.

पूर्व—साइन कटी प्रा. वन के मु. से सीमांकित मु. क्र. १/१ तक और १/१ से ५/५ तक गुन्डा गांव का.

दक्षिण—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ५/५ से ६/६ तक गुन्डा गांव का.

पश्चिम—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६/६ से प्रा. वन के पुनारे तक.

३. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—बुधक-५३, मरडी-५३, वनबंध—बुधक, रकवा—१३६.०० एकड़.

उत्तर—साइन कटी प्रा. वन के मु. से सीमांकित मु. क्र. १/१ तक और १/१ से ३/३ तक मरडी गांव का, और सीमांकित मु. क्र. ३/३ से ५/१ तक.